The Bihar State Mela Authority (Amendment) Act, 2012

Act 24 of 2012

Keyword(s):
Fairs, Melas, Regulatory Authority

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 698) पटना, वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0–1–19/2012/446/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 24, 2012]

बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 20, 2008) का संशोधन_करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 20, 2008) की धारा–2 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा–2 की उप–धारा (ङ), (ज), (झ), (ञ) तथा (ट) विलोपित की जायेगी।

3. बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 20, 2008) की धारा–5 में संशोधन ।— अधिनियम की धारा–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

''**5. (1) उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से हटाया जाना ।**— राज्य सरकार उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को प्राधिकार से हटा सकेगी जो उसकी राय में –

(क) कार्य करने से इन्कार करता हो, या

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या

(ग) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग करता हो जिससे कि लोक या सरकार के हित में उसका पद पर बने रहना हानिकारक हो, या

(घ) उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में बने रहना अन्यथा अनुपयुक्त हो।

(2) उपाध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपनी हस्तलिखित सूचना के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है :

परन्तु उपाध्यक्ष या गैर सरकारी सदस्य जबतक उसको राज्य सरकार द्वारा पहले पदत्याग करने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी सूचना प्राप्ति के तीन माह की समाप्ति तक या जब तक उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति उसका पद धारित नहीं करता है, या उसकी पदावधि जबतक समाप्त न हो जाए, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।''

4. **बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 20, 2008) की धारा–26 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा–26 के वर्त्तमान प्रावधान का संख्यांकन उप–धारा–(1) के रूप में होगा तत्पश्चात् एक नई उप–धारा–(2) निम्न रूप में जोड़ी जाएगी :–

''(2) इस धारा के अधीन बना प्रत्येक नियम, बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की कालावधि तक, जो एक ही सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरवर्ती सत्रों में, रखा जायेगा, और यदि जिस सत्र में इसे रखा जाय, उस सत्र के या उसके ठीक पश्चातवर्त्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हों अथवा दोनों सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही न जाय, तो तदुपरान्त नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभावी होने से उस नियम के अधीन पूर्व में किए गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न होगा।''

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0–1–19/2012/447/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत **बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

The Bihar State Mela Authority (Amendment) Act, 2012
[Bihar Act 24, 2012]
AN
ACT
To Amend The Bihar State Mela Authority Act, 2008.
(Bihar Act 20, 2008)

Be it enacted by the Legislature of The State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .- (1) This Act may be called "The Bihar State Mela Authority (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3.) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-2 of the Bihar State Mela Authority Act, 2008 (Bihar Act 20, 2008).- Sub-Section (e), (h), (i), (j) and (k) of Section -2 of the Act shall be deleted.

3. Amendment in section-5 of the Bihar State Mela Authority Act, 2008 (Bihar Act 20, 2008).-

Section-5 of the said Act shall be substituted as follows :-

"5. (1) Removal of Vice-Chairman and members from their Offices.-The State Government may remove from the Authority Vice-Chairman or any member who in its opinion-

(a) refuses to act, or

(b) has become incapable to act, or

(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to public or Government interest, or

(d) is otherwise unsuitable to continue as Vice-Chairman or a Member.

(2) The Vice-Chairman or Member may, by notice in writing under his hand addressed to the State Government resign his office;

Provided that the Vice-Chairman or other Non-Government Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of terms of Office whichever is earliest."

4. Amendment in Section-26 of the Bihar State Mela Authority Act, 2008 (Bihar Act 20, 2008).- The present provision of Section-26 of the said Act shall be numbered as Sub-Section (1) thereafter a new Sub-Section (2) shall be added as follows :-

"(2) Every Rule made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in Session for a total period of 14 days which may be comprised in one Session or in two successive Sessions and if, before the expiry at the Session in which it is so laid in the Session immediately following, both the Houses agree in making any modification in the Rule or both the Houses agree that the Rule should not be made, the Rule shall thereafter have effect only in such modified form or be at no effect as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Rule."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 698-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in